कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक,
उलन बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी-110010

विषय: रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय की दिनांक 31 मार्च, 2016 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

****

इस मुख्यालय कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 31 मार्च, 2016 को श्री मोहिन्दर सिंह, भा.र.ले.से., रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक (ले.प.) की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :

1.	श्री मुश्ताक अहमद, भा.र.ले.से., रक्षा लेखा वरिष्ठ सहायक महानियंत्रक(प्रशा.)	सदस्य
2.	श्री सुन्दर विश्वनाथन, भा.र.ले.से., रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक(ले.प.)	सदस्य
3.	श्री राम कुमार, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (आई.एफ.ए.)	सदस्य
4.	श्री आर. रंगनाथन, वरिष्ठ लेखा अधिकारी(प्रशा.)	सदस्य
5.	श्री कृष्ण कुमार, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (लेखा/बजट)	सदस्य
6.	श्री जीतेन्द्र जोशी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (लेप.)	सदस्य
7.	श्री सुभाष चन्द गुप्ता, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशा.)	सदस्य
8.	श्री संजीव जे. बजाज, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशा.)	सदस्य
9.	श्री सुनील कुमार सिंह, लेखा अधिकारी (लेप.-समन्वय)	सदस्य
10	श्री श्रीनिवास शर्मा, सहायक निदेशक (रा.भा.)	सदस्य सचिव

अन्य उपस्थित:

1. श्रीमती काकोली दत्ता, वरिष्ठ अनुवादक
2. श्रीमती बीना कुमारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक
3. श्री पंकज दलाल, कनिष्ठ अनुवादक
4. श्री रवि कुमार, कनिष्ठ अनुवादक
5. श्री संदीप बोस, कनिष्ठ अनुवादक

श्री जीतेन्द्र जोशी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (लेप.) एवं श्री सुनील कुमार सिंह, लेखा अधिकारी (लेप.-समन्वय) का नए सदस्य के रूप में समिति से परिचय कराने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही शुरु की गई :-

मद सं.:1 <u>दिनांक 23 दिसम्बर, 2015 को आयोजित बैठक के कार्यवृत की पुष्टि:</u>

समिति को सूचित किया गया कि पिछली बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 04 जनवरी, 2016 के पत्र सं. 55018/5/81/हि.क./रा.भा.का.स./मु.का./26 के अंतर्गत सभी संबंधितों की जानकारी एवं यथाअपेक्षित कार्रवाई हेतु रक्षा लेखा महानियंत्रक की वैबसाइट पर अपलोड कर दिए गए थे । किसी भी सदस्य से कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुए, अतः समिति द्वारा सर्व सम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी गई।

मद सं.:2 पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई :

(1) <u>रिपोर्ट-रिटर्न संबंधी प्रपत्र अथवा उनके अग्रेषण पत्र, दावों एवं परिपत्रों/आदेशों के अग्रेषण पत्र हिंदी में जारी करना, रजिस्टरों और सेवा-पुस्तिकाओं में हिंदी में प्रविष्टियां तथा हिंदी में पत्राचार में वृद्धि</u> :

समिति को सूचित किया गया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्यणानुसार हिंदी कक्ष द्वारा 10 अनुभागों का निरीक्षण किया गया और पाया गया कि कुछ अनुभाग रिपोर्ट-रिटर्न संबंधी प्रपत्र अथवा उनके अग्रेषण पत्र, दावों एवं परिपत्रों/आदेशों के अग्रेषण पत्र हिंदी/द्विभाषी रूप में उपलब्ध करवाए जाने के उपरांत भी इन्हें अंग्रेजी में ही जारी कर रहे हैं।

समिति ने इस पर आपत्ति जताते हुए निर्देश दिया कि मुख्यालय में हिंदी कार्य की मात्रा को बढ़ाने के लिए भविष्य में हिंदी प्रारूपों का अधिक प्रयोग किया जाए। रजिस्टरों और सेवा-पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में की जाएं।

समिति ने सुझाव दिया कि इस संबंध में हस्ताक्षरकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागज़ात द्विभाषी रूप में जारी हों तथा रजिस्टरों और सेवा-पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में हों। इसके लिए जांच बिंदु बनाए जाए एवं सुनिश्चित किया जाए कि राजभाषा नियमों के समुचित अनुपालन के लिए बनाए गए निम्नलिखित जांच बिंदुओं का प्रभावशाली ढंग से अनुपालन किया जा रहा है :

	कार्य	जांच बिंदु
1.	सभी सामान्य आदेश अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं।	प्रभारी अधिकारी, सभी अनुभाग
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में दिए जाएं।	प्रभारी अधिकारी, सभी अनुभाग
3.	'क' तथा 'ख' क्षेत्रों की राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले पत्र हिंदी में भेजे जाएं।	प्रभारी अधिकारी, सभी अनुभाग
4.	'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों को भेजे जाने वाले लिफाफों पर पते हिंदी में लिखे जाएं।	प्रभारी अधिकारी, प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग तथा प्रभारी अधिकारी, अन्य अनुभाग (उन मामलों में जो उनसे संबंधित है।)

5.	कोड/मैनुअल तथा गजट की सामग्री द्विभाषी रूप में मुद्रित कराई जाए।	प्रभारी अधिकारी, लेखापरीक्षा-6 अनुभाग
6.	सभी प्रकार के फार्मों, रबड़ की मोहरें, नामपट्ट, साइनबोर्ड, सीलें, पत्र शीर्ष, वाहनों पर कार्यालय का विवरण, विजिटिंग कार्ड, बैज/बिल्ले, लोगो, मोनोग्राम एवं चार्ट/नक्शे द्विभाषी रूप में बनवाना।	प्रभारी अधिकारी- प्रशासन-5 अनुभाग तथा प्रभारी अधिकारी, अन्य अनुभाग (उन मामलों में जो उनसे संबंधित है।)
7.	अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में की जाएं।	प्रभारी अधिकारी, प्रशासन-1 एवं प्रशासन-4 अनुभाग
8.	कम्प्यूटर पर हिंदी में कार्य करने हेतु सभी कम्प्यूटरों में हिंदी सॉफ्टवेयर लोड किया जाए अथवा यूनिकोड सुविधा उपलब्ध कराई जाए।	प्रभारी अधिकारी, ई.डी.पी केन्द्र
9.	सभी रजिस्टरों में प्रविष्टियां अनिवार्य रूप से हिंदी में की जाएं।	प्रभारी अधिकारी, सभी अनुभाग

(2) जिन अधिकारियों को जांच बिंदु बनाया गया है वे तीन दिन के भीतर इस बात की पुष्टि करेंगे कि उन्होंने इन बिंदुओं पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जारी किए गए जांच बिंदु और उपर्युक्त बिंदुओं के मामले में स्थिति की जाँच हेतु समय-समय पर उच्च स्तर के अधिकारी को नामित किया जाएगा, जिसके लिए हिंदी कक्ष अलग से प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

बैठक में सूचित किया गया कि वर्तमान मे कार्यालय में कुल 47 अधिकारी एवं 107 कर्मचारी राजभाषा नियम 9 के अंतर्गत प्रवीणता प्राप्त हैं। नियम 8(4) के अंतर्गत इन सभी को व्यक्तिशः आदेश जारी किए जाने हैं, और आदेश तुरंत जारी कर दिए जाएंगे।

(कार्रवाई : हिंदी कक्ष/सभी अनुभाग(स्थानीय))

(3) <u>रक्षा लेखा विभाग की वैबसाइटों का द्विभाषीकरण</u> :

पिछली बैठक में समिति की राय थी कि वैबसाइट में 'राजभाषा कोना' के रूप में हिन्दी वैबसाइट को मूल शीर्षक में स्थान दिया जाए। इस परिप्रेक्ष्य में सूचित किया गया कि वैबसाइट में 'राजभाषा कोना' के रूप में हिन्दी वैबसाइट को मूल शीर्षक में स्थान दे दिया गया है।